न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1723/2026
(भपटियाही थाना कांड सं0–169/2025)

	ओम प्रकाश साह, पे0 श्री रामकृष्ण साह, साकिन वेगाईपट्टी वार्ड नं0–06, थाना भपटियाही, जिला सुपौल.....अभियुक्त/आवेदक बनाम् बिहार राज्य.....विपक्षी	
23/03/26	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदक **ओम प्रकाश साह** की ओर से दाखिल किया गया है, जो भपटियाही थाना कांड सं0– 169/2025 अन्तर्गत धारा –4, 21 MMDR & Bihar Mineral concession prevention of illegal mining transportation & storage) rule 2019 यथा संशोधित नियमावली 2024 के नियम 11, 38, 56 तथा वन पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 15 तथा 225 भारतीय न्याय संहिता के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री तेज नारायण गुप्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पांडेय को सुना। अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त आवेदक के विरूद्व पूर्व से तीन केश न्यायालय में लंबित है तथा तीनों वादो में न्यायालय द्वारा जमानत पर है। अभियुक्त आवेदक के द्वारा ई चलान के माध्यम से जमा की गई राशि का कागजात जमा किया गया था, जिसे सूचक के द्वारा चलान को फर्जी बताया गया है। अभियुक्त आवेदक के द्वारा दिनांक 16.11.2024 को ही अघतन राशि 1,11,875/– रूपया ई–चलान के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 की राशि भुगतान की जा चुकी है। अभियुक्त आवेदक के द्वारा बिहार गजट प्रावधान के अनुसार विगत वर्षो की तरह ही ई–चलान के माध्यम से बिहार सरकार को समय पर भुगतान किया जा रहा है। अभियुक्त आवेदक धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 अधिनियम के सभी नियम एवं शर्तो को मानने को तैयार है। अतः अभियुक्त आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का नि. वेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। प्रस्तुत वाद जिला खनन कार्यालय, सुपौल के टंकित आवेदन के आधार पर अंकित धारा 4, 21 MMDR & Bihar Mineral concession prevention of illegal mining transportation & storage) rule 2019 यथा संशोधित नियमावली 2024 के नियम 11, 38, 56 तथा वन पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 15 तथा 225 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत भपटियाही थाना कांड सं0–169/2025 दिनांक 01/08/2025 दर्ज किया गया है। अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है, अभियुक्त आवेदक के द्वारा ईट सत्र 2024–25 में बिना खनन स्वामित्व जमा किये, अवैध रूप से ईट मिट्टी का खनन करने एवं बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त किये अवैध रूप से ईट भट्ठा का संचालन किया जा रहा	Contd

<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1723/2026
(भपटियाही थाना कांड सं0–169/2025)

<u>लगातार.....</u> 23/03/26	है। जबकि समाहर्त्ता सुपौल के चपरासी वही 23 पा0/ 25.07.2025 से प्राप्त आवेदन में ईंट भट्ठा मालिक के द्वारा खनन स्वामित्व की राशि 1, 11, 875/–रूपये का चलान सं0– BHR20241100515511M से जमान करने की बात कही गई है, जिसका Online E-Challan O-Grass में जॉच किया जिसमें चलान लंबित पाया गया। ईट भट्ठा मालिक के द्वारा समहाहर्त्ता को दी गई चालान की मूल कॉपी को जॉच करने पर पाया गया कि वह चालान फर्जी है।" उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा इनके विरूद्व खनन विभाग को फर्जी चालान जमा करने का आरोप है। अभियुक्त आवेदक के विरूद्व लगाई राशि उसके द्वारा खनन विभाग को ई–चालान के माध्यम से दिनांक 01/12/2024 को जमा करवा दिया गया है। अभियुक्त आवेदक के विरूद्व जिन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है, उन धाराओं में 07 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश **"सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम् सी0बी0आई"** एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित आदेश **"नौशाद अंसारी बनाम् बिहार सरकार"** में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त आवेदक अग्रिम जमानत पाने का हकदार है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त आवेदक **ओम प्रकाश साह** को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति/प्रस्तुति के 15 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् अभियुक्त आवेदक की ओर से मो0 20,000/–रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर धारा 482(2) बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अधीन विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ छोड़ने का आदेश जाता है, कि एक जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार या परिवार के सदस्य होगें। लेखापित –हस्ता0– (अनंत सिंह) प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल	